रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D. (D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

ARIAT LIBRARY INDIA

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 392] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 9, 1980/अग्रहायण 18, 1902
No. 392] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 9, 1980/Agrahayana 18, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

सीमा-शुल्क

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 1980

सा. का. नि. 689 (ब) .—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक

है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 132-सीमा-शुल्क, तारीख 2 जुलाई, 1980 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में उपाबद्ध अनुसूची में क्रम सं. 14 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"15-गेहूं की घोकर

16-जूट की विनिर्मितियां—सभी प्रकार की ।"

[अधिसूचना सं. 239 सी. शु. फा. सं. 552/117/79-एल.सी.-1]

आनन्द छाबड़ा, उपसचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 9th December, 1980

NOTIFICATION

CUSTOMS

G.S.R. 689(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 132-Customs, dated 2nd July, 1980, namely :—

In the Schedule annexed to the said notification after Serial No. 14 and the entries relating thereto, the following Serial Nos. and entries shall be inserted, namely :—

"15. Wheat bran

16. Jute manufactures—all sorts."

[Notification No. 239-Cus|F. No. 552|117|79-L.C.I.]

A. K. CHHABRA, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980